

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय आजमगढ़ ।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय आजमगढ़ के निम्नलिखित शासकीय वाहनों की नीलामी दिनांक 18.08.2017 को अप० 2:00 बजे नवीन भवन के 'हॉल ऑफ जस्टिस' में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति द्वारा किया जायेगा।


नीलाम होने वाले वाहनों का विवरण :-

क्रम सं०	वाहन का नाम	मॉडल नम्बर	पंजीयन सं०	A.R.T.O. द्वारा निर्धारित मूल्य / न्यूनतम बोली	संख्या
01	अम्बेसडर कार	1996	U.P. 50-C-0830	रु० 22,000-00	01
02	अम्बेसडर कार	1996	U.P. 50-C-0833	रु० 22,000-00	01

नीलामी की शर्त निम्नवत् है :-

- 1- उपरोक्त प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर धनराशि रु० 5,000-00 नकद बोली बोलने से पूर्व जमा करना होगा।
- 2- नीलामी हेतु सन्दर्भित वाहन की नीलामी 'जहाँ भी, जैसी स्थिति में' के आधार पर नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा तथा बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3- सफल बोलीदाता की सर्वोच्च / स्वीकृति बोली का 1/2 भाग धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष 1/2 धनराशि नीलामी स्वीकृति होने के पश्चात् सात दिन के भीतर वाहन का वास्तविक रूप से कब्जा लेने से पूर्व नजारत अनुभाग में जमा करना होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी जमानत / धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 4- नीलामी में सफल व्यक्ति को अपने स्वयं के खर्च पर वाहन को ले जाना होगा तथा उनको वाहन के विक्रय पत्र / हस्तान्तरण प्रपत्र आदि का खर्च भी स्वयं वहन करना होगा।
- 5- नीलामी में असफल व्यक्तियों को उनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 6- निर्धारित न्यूनतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश नीलामी स्थगित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
- 7- नीलामी में भाग लेने से पूर्व उपरोक्त वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क करके किया जा सकता है।
- 8- किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।
- 9- नीलामी सूचना का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वेवसाइट तथा जनपद आजमगढ़ के वेवसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक : 29.07.2017

  
(संजय कुमार वर्मा)

अध्यक्ष नीलामी समिति/

अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं०-3